तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र संख्या 342/2022 अ.धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 उनवानी रामेश्वर बनाम सरकार GCMS 2022/573	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.02.2023	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार खेतड़ी से उनके पत्रांक राजस्व/2022/1748 दिनांक 27.10.2022 से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। साक्ष्य प्रार्थी में श्री नाहरूराम पुत्र कालू राम का शपथ पत्र (पी.डब्लू–1) पेश हुआ। बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् व तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये मुख्य अनुतोष यह है कि वाके ग्राम अजीतपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमावन्दी संवत 2073–2076 के हाल खाता संख्या 25 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 207/25, 208/24, 21, 22, 23 कुल किता 12 कुल रकवा 2.10 हेक्टेयर का प्रार्थी का पिता संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के पिता का नाम भानाराम पुत्र भूराराम के स्थान पर काना पुत्र भूदा दर्ज हो गया जो राजस्व कर्मचारियों की गलती से दर्ज हुआ है। जवकि प्रार्थी के पिता का सही नाम भानाराम पुत्र भूराराम है जो सही है। जमावन्दी संवत 2012, 2013 में भी प्रार्थी के पिता का नाम भाना पुत्र भूरा दर्ज रिकार्ड है। अतः प्रार्थी के पिता का नाम काना पुत्र भूदा के स्थान पर सही नाम भानाराम पुत्र भूराराम दर्ज किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमावन्दी संवत 2012 राजस्व ग्राम अजीतपुरा के खाता संख्या 45 के खसरा नम्बर 2 रकवा 8 बीघा 14 बिस्वा में भाना पिता भूरा हिस्सा 1/9 दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार संवत 2013 की जमावन्दी के खाता संख्या 1/45 में भी भाना पिता भूरा हिस्सा 1/9 दर्ज रिकार्ड है, लेकिन संवत 2017 की जमावन्दी के खाता संख्या 7/39 के खसरा नम्बर 2 रकवा 8 बीघा 14 बिस्वा में भूरा, कालू, सूण्डा माली कृषक दर्ज किया गया है। जमावन्दी संवत 2021 से 2024 के खसरा नम्बर 2 रकवा 8 बीघा 14 बिस्वा में काना वल्द भूदा हिस्सा 1/9 दर्ज किया गया। जमावन्दी संवत 2025 से 2028 के खसरा नम्बर 2 रकवा 8 बीघा 14 बिस्वा में भी काना पुत्र भूदा हिस्सा 1/9 दर्ज किया गया। जमावन्दी संवत 2029–2032 के खाता संख्या 55 में भाना पुत्र भूदा हिस्सा 1/9 दर्ज किया गया है। नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल ग्राम अजीतपुरा के अनुसार गत खसरा नम्बर 2 रकवा 8 बीघा 14 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर क्रमशः 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 207/25, 208/24 कुल किता 12 कुल रकवा 2.10 हेक्टेयर निर्मित हुये है। मिसल हकियत संवत 2043 के खाता संख्या 53 में उक्त हाल खसरा नम्बर में काना पुत्र भूदा हिस्सा 1/9 दर्ज किया गया है। ग्राम अजीतपुरा की वर्तमान जमाबन्दी संवत 2073–2075 के हाल खाता संख्या 25 में भी काना पुत्र भूदा हिस्सा 1/9 दर्ज रिकार्ड है। दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से पाया कि जमावन्दी संवत 2012 व 2013 के अनुसार काना पुत्र भूदा का सही नाम भाना पिता भूरा है। तहसीलदार खेतड़ी ने भी अपनी जांच रिपोर्ट क्रमांक 1748 दिनांक 27.10.2022 में प्रार्थी के पिता का सही नाम काना पुत्र भूदा के स्थान पर भानाराम पिता भूराराम होना सही पाया है तथा उक्तानुसार दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की है। पत्रावली के संलग्न आधार कार्ड संख्या 8709 5890 9230 में प्रार्थी के पिता का नाम भानाराम पुत्र भूराराम है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् के आधार पर प्रार्थी के पिता का नाम काना पुत्र भूदा	

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

के स्थान पर भानाराम पुत्र भूराराम दुरूस्त किये जाने योग्य पाया जाता है। लिहाजा

–: आदेश :–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व ग्राम अजीतपुरा तहसील खेतड़ी की वर्तमान जमाबन्दी संवत 2073–2076 के हाल खाता संख्या 25 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 207/25, 208/24 कुल किता 12 कुल रकबा 2.10 हेक्टेयर में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम **काना पुत्र भूदा** के स्थान पर **भानाराम पुत्र भूराराम** दुरूस्त कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी के नाम तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

पत्रावली फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner